

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(49)एमई/ग्रुप-1/97

जयपुर, दिनांक : 19 FEB 2019

आदेश


डॉ. नलिन जोशी, आचार्य, टी.बी. एण्ड चेस्ट विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर जिनकी जन्म तिथि दिनांक 17.07.1965 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2373/2018 डॉ. नलिन जोशी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय 27.08.2018 In view of the factual matrix of case at hand, which is not disputed by the parties and the claim of the petitioner is identical to one which has been raised, considered and adjudicated upon in the cases aforesaid; I find no good reason to take a view contrary for the reasons aforesaid and in view of settled legal position, in the singular facts of the case at hand; the writ application merits acceptance.

Accordingly, writ application of the petitioner succeeds and is hereby allowed. Impugned order dated 18th December, 2017 is quashed.

For the petitioner is still performing his duties; the prayer is accordingly modified to the extent directing the State-respondents to treat the petitioner to have retired voluntarily w.e.f. 1st September, 2018. The respondents would release his pension and all retiral benefits within a period of three months from the date a certified copy of this order is presented..” की पालना में दिनांक 01.09.2018 को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

डॉ. नलिन जोशी, आचार्य, टी.बी. एण्ड चेस्ट विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,  
  
(मोहन लाल वर्मा)  
शासन उप सचिव

क्रमशः :- 2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
3. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डॉ. नलिन जोशी, आचार्य, टी.बी. एण्ड चेस्ट विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपरलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(जी.आर. रावल)  
शासन सहायक सचिव